हरित पहल

प्रिय शेयरधारक,

कारपोरेट अभिशासन में हरित पहल

सेबी के दिशानिदेशों के अनुसार, जिन शेयरधारकों के ईमेल पते हमारे पास उपलब्ध हैं, हम उन शेयरधरकों को वार्षिक रिपोर्ट इलेक्ट्रानिक रूप में भेज रहे हैं।

आपका बैंक आपको इस हरित पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है जिससे बैंक इलेक्ट्रानिक रूप अर्थात ईमेल के माध्यम से आपके साथ संवाद कर सके। इससे न केवल पर्यावरण की रक्षा होगी बल्कि संवाद बेहतर होगा तथा सूचनाएँ भेजने में होने वाली देरी तथा हानि से बचा जा सकेगा। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि यदि आपकी होल्डिंग डीमैट रूप में है तो अपने डिपोजीटरी सहभागी के पास अपनी ईमेल आईडी को अद्यतन करके हमारी इस पहल में हमारे साथ जुड़े। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक कृपया अपनी अद्यतन जानकारी/ परिवर्तन को sbi.igr@alankit.com पर ईमेल भेजकर रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट (आरटीए) मैसर्स अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड को दें।

इसके अलावा, आप में से अधिकांश के पास अपने बैंक के शेयर डीमैट रूप में होते हैं तथापि आप में से कुछ के पास अभी भी शेयर भौतिक रूप में हैं। दिनांक 01.04.2019 से प्रभावी करते हुए सेबी ने भौतिक रूप से रखी गई प्रतिभूतियों के अंतरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। भौतिक रूप से रखे गए आपके शेयरों को बड़ी आसानी से डीमैट रूप में बदला जा सकता है। शेयरों को डीमैटीरियालाईज़ करने के निम्नलिखित लाभ हैं:

- प्रतिभूतियों का तुरंत अंतरण
- कागज के रूप में प्रतिभूति रखने से जुड़े जोखिमों जैसे चोरी, आग से क्षति, कागज़ का फट जाना, नकली/ जाली प्रतिभूतियाँ आदि से छुटकारा।
- डीपी के पास दर्ज पते में परिवर्तन मात्र से उन सभी कंपनियों में आपके पते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से परिवर्तन हो जाता है, जिनकी प्रतिभूतियों में आपने निवेश किया है।
- सभी कंपनियों के साथ अलग-अलग पत्राचार करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है;
- प्रतिभूतियों का प्रेषण डीपी द्वारा किया जाता है, जिससे कंपनियों के साथ पत्राचार की आवश्यकता ही नहीं रहती;
- इक्विटी, डेब्ट लिखतों तथा सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए होल्डिंग निवेश को एक ही खाते में रखा जा सकता है;
- बोनस स्प्लिट /समेकन/विलय इत्यादि के मामले में शेयर अपने आप खाते में जमा हो जाते हैं;

यदि आपके पास शेयर भौतिक रूप से उपलब्ध हैं तो, कृपया डीमैट खाता खोलने के लिए अपनी पसंद के किसी डिपोजीटरी सहभागी (डीपी) (जैसे एसबीआई कैप सिक्यूरिटी लिमिटेड, टोल फ्री न. 1800223345, ईमेल- helpdesk@sbicapsec.com) से संपर्क करें। डीमैट अनुरोध फॉर्म (डीआरएफ़) भरें तथा अपने शेयरों को डीमैटरिलाइज़ करने के लिए अपनी डीपी को संबंधित शेयर प्रमाण पत्र सौंप दें।

यदि आपको लाभांश भौतिक रूप (जैसे चैक) से प्राप्त हो रहा है तो आपसे अनुरोध है कि लाभांश इलेक्ट्रानिक रूप से प्राप्त करने के लिए कृपया मामले के अनुसार अपने बैंक खाते का विवरण डीपी/आरटीए को दे/अद्यतन करा लें।

हमें विश्वास है कि आप अपने बैंक द्वारा शुरू की गई "हरित पहल" की सराहना करेंगे तथा आशा करते हैं कि आप इस प्रयास में उत्साहपूर्वक भाग लेंगे।

शेयरधारकों का ध्यान, भारतीय स्टेट बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2010 द्वारा शामिल तथा 15.09.2010 से प्रभावी भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 38ए की ओर आकर्षित किया जाता है। उक्त धारा के अनुसार, यदि स्टेट बैंक द्वारा घोषित लाभांश को लाभांश की घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर शेयरधारक को भुगतान न किया गया है या किसी पात्र शेयरधारक द्वारा उसका दावा न किया गया हो तो लाभांश की राशि को "अप्रदत्त लाभांश खाता" नामक एक विशेष खाते में अंतरित कर दिया जाएगा। इसके अलावा, उपर्युक्त संशोधन से पहले की अवधि की सारी अप्रदत्त लाभांश राशि को पहले ही उक्त "अप्रदत्त लाभांश खाते" में अंतरित कर दिया गया है। स्टेट बैंक के अप्रदत्त लाभांश खाते में अंतरित की गई कोई भी राशि उपर्युक्त अनुसार अंतरण की तारीख से सात साल की अवधि के लिए अप्रदत्त रहती है या उस पर कोई दावा नहीं किया जाता है तो बैंक द्वारा उस राशि को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के अंतर्गत स्थापित “निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष” में अंतरित कर दिया जाएगा तथा उसके बाद उसका उपयोग उक्त धारा में विनिर्दिष्ट तरीके से विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए किया जाएगा। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, सभी शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि उन्हें देय किसी भी लाभांश का दावा बिना किसी देरी के कर लिया गया है।

शेयरधारक (कों) के उपयोग के लिए

मेसर्स अंलकित एसाइन्मेट्स लि.
यूनिट:भारतीय स्टेट बैंक
अलंकित हाइटस, 205-208, अनार्कली कांप्लेक्स,
ई/7, झंडेवाला एक्सटेंशन,
नई दिल्ली- 110 055

टेलिफोन नं. 011 - 4254 1234 / 7290071335

निवेशक द्वारा क्रेडिट क्लियरिंग व्यवस्था के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में भुगतान प्राप्त करने का विकल्प देने के लिए

1. निवेशक का नाम (i) _____
   (ii) _____
   (iii) _____
2. वर्तमान पता _____
   _____
   _____
   पिन: _____
   टेलि.नं. और मोबाइल नं _____
   (भविष्य में पत्राचार और ई-वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए)
3. फोलियो नं _____ (केवल कागजी स्वरूप वाले शेयरों के मामले में)
4. पीएफ सूचकांक: _____
   (केवल एसबीआई के उन कर्मचारियों द्वारा भरे जाने के लिए जिनके पास एसबीआई के शेयर हैं)
5. बैंक खाते का ब्योरा
   क. बैंक का नाम: _____
   ख. शाखा का नाम: _____
   (पूरा पता)
   _____
   पिन: _____
   ग. बैंक शाखा का 9 अंकों का एमआईसीआर कोड
   ☐☐☐☐☐☐☐☐☐
   (जैसे बैंक द्वारा जारी एमआईसीआर चेक में दिया गया है)
   घ. खाते का प्रकार:.....
   (बचत बैंक खाता (कोड 10) या चालू खाता (कोड 11) या कैश क्रेडिट (कोड 13)
   ङ. खाता सं. (जैसे चेकबुक में दी गई। कृपया एक कोरा "रद्द" चेक या उसकी फोटो प्रति संलग्न करें)
   ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
   च. आईएफएससी : _____

मैं एतदद्वारा घोषणा करता/करती हूं कि ऊपर दिया गया ब्योरा ठीक और पूरा है। यदि अपूर्ण या गलत जानकारी के कारण लेनदेन में विलंब होता है या यह पूरा नहीं हो पाता है तो भारतीय स्टेट बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।

स्थान:

दिनांक: (प्रथम धारक के हस्ताक्षर)

द्रष्टव्य:

1. इलेक्ट्रॉनिक (डीमैट) में शेयरधारिता वाले शेयरधारक (कों) से अनुरोध है कि वे ऊपर दिया गया समस्त ब्योरा अपने डीपीआईडी/क्लाइंट आईडी के साथ अपने डिपॉजिटरी पार्टिसपेंट (डीपी) को सूचित कर दे (दें)।
2. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कागज रूप में धारित शेयरों को डीमैट खाते में लाने के लिए विकल्प दें।
3. शेयरधारकों/बांडधारकों से अनुरोध है कि वे नामांकन सुविधा का लाभ उठाएँ।
4. नामांकन फॉर्म बैंक की वेबसाइट पर इन्वेस्टर रिलेशन्स/शेयरधारक सूचना नामांकन फॉर्म लिंक link: https://sbi.co.in/web/investor-relations/share-holder-bondholder-information के अंतर्गत अपलब्ध है।
5. नवीनतम जानकारी के लिए www.sbi.co.in इन्वेस्टर रिलेशन्स/शेयरधारक सूचना देखें।

सभी एसबीआई शेयरधारकों से अपील

भौतिक रूप में एसबीआई के इक्विटी शेयर रखने वाले सभी शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित विवरण अद्यतन करें और इसे हमारे आरटीए को पंजीकृत / स्पीड पोस्ट से प्रस्तुत करें -

मैसर्स अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड (AAL), अलंकित हाइट्स, 3 ई / 7, झंडेवालन एक्सटेंशन, नई दिल्ली - 110055,
फोन -7290071335, e-mail-sbi.igr@alankit.com

मैं/ हम एएएल, एसबीआई के आरटीए से अनुरोध करते हैं कि मेरे/ हमारे शेयर फोलियो नं. में निम्नलिखित विवरण अद्यतन करें।			
सामान्य जानकारी:			
पहले धारक का नाम: *			
संयुक्त 1			
संयुक्त 2			
पिन कोड नंबर के साथ पता: *			
फोलियो नंबर *			
	पहला धारक	संयुक्त 1	संयुक्त 2
पिता/पति अभिभावक का नाम			
आयकर पैन *			
आधार नं.			
मोबाईल नं.*			
ई-मेल आईडी			
जन्म तिथि * (दिनांक / माह / वर्ष)			
पी.एफ सूचकांकनं (केवल स्टाफ पेंशन वाले शेयर धारक			
प्रथम धारक का बैंक विवरण			
बैंक का नाम: *			
बैंक शाखा का पता:			
खाता संख्या * (जैसा चेक में प्रदर्शित है):			
बैंक खाते का प्रकार (बचत/चालू/ एनआरई / एनआरओ): * - बाक्स में (√) करें	बचत	चालू	एनआरई / एनआरओ
आईएफएससी IFSC (11 अंक): *			
एमआइसीआर MICR (9 अंक) (जैसा चेक में प्रदर्शित है): *			

बैंक विवरण के सत्यापन के लिए पैन, आधार कार्ड की स्वयं द्वारा सत्यापित फोटो प्रति और कैंसिल किया गया चेक (वर्तमान में सक्रिय खाते का) बैंक द्वारा सत्यापित पासबुक के प्रथम पृष्ठ पर प्रथम धारक के नाम के साथ संलग्न है।

*** अनिवार्य क्षेत्र (नोट: सभी संलग्नक अनिवार्य हैं)**

मैं / हम इसके द्वारा घोषित करते हैं कि यहाँ दिए गए विवरण सही और पूर्ण हैं।

हस्ताक्षर:

----------	----------	----------
प्रथम धारक	द्वितीय धारक	तृतीय धारक

दिनांक:

स्थान :

नोट: भौतिक रूप में प्रतिभूतियों को रखा जाना शरारती तत्वों द्वारा दुरुपयोग, चोरी, नष्ट होना, खो जाने के जोखिम से भरा है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है की प्रतिभूतियों के हस्तांतरण के अनुरोधों को तब तक संसादिख नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रितभूतियों को दिनांक 01.04.2019 से डिपोजिटरी के पास डिमेट फॉर्म में नही रखा जाता। हमारा ई-मेल आईडी: investor.complaints@sbi.co.in है।

डीमैट फॉर्म में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने संपूर्ण विवरण को अर्थात केवाईसी खाता संख्या, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर आदि को अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी (डीपी) के यहां अद्यतन करें यदि हाल ही में ऐसा न किया गया हो तो। इससे हम आपकी बेहतर सेवा कर सकेंगे।